संख्या- 744/लो0नि-1/03-21(प्रा0आ0)/2003

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 देहरादून,दिनांक 13 नवम्बर,2003

विषयः- जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली घाट मोटर मार्ग के अवशेष कार्यों का एस0एन0डी0 में प्रारम्भिक आगणन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1225/38(अ.4)रा0रा0-उत्तरांचल/2003 दिनांक 24-3-2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के द्वारा जनपद चमोली में थराली घाट मोटर मार्ग हेतु अवशेष कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन रु0 53.60 लाख के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रु0 51.00 लाख (रु0 इक्यावन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु0 51.00 लाख (रु0 इक्यावन लाख) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि प्रश्नगत कार्य इसी अनुमोदित लागत में पूर्ण करा लिया जायेगा तथा इसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं होगी ।

3. व्यय करते समय बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर विषयक नियम एवं शासन के अन्य विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय किसी अन्य कार्य पर न करके इसी अनुमोदित कार्य पर किया जायेगा ।

4. आगणन में उल्लिखित दरों का विभागीय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें । निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के

...2..

अनुरूप कार्य किया जाय ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते हुये समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

9. स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31-3-2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

10. उक्त व्यय पर चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राज्य सैक्टर-02-नया निर्माण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अ0शा0 संख्या- 1753/अनु-3/2003 दिनांक 11-11-2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।

संख्या 744 (1)/लो0नि-1/2003, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा प्रथम) उत्तरांचल इलाहाबाद/देहरादून ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र-2 लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता ।
7. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव ।